

प्रेषक,

सर्वेश कुमार पाण्डेय-॥
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०-2, फिरोजाबाद

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
फिरोजाबाद

विषय-

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-12841/IV-3164/ एडमिन
(ए) दिनांकित 23-09-2024 के अनुपालन विषयक

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2003 में चयन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-09-2001 से दिनांक 20-05-2006 तक ए०पी०ओ० के पद पर कार्यरत था। उक्त पद पर कार्यरत रहने के दौरान सम्बंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2003 हेतु आवेदन किया गया था और चयनोपरान्त वर्तमान सेवा में आने से पूर्व सम्बंधित विभाग से कार्यमुक्त होकर उनकी स्वीकृति के पश्चात कार्यभार ग्रहण किया था।

यह कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी का प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-सा-3-1671 (1)/दस-2010-301(9)-2003 टी०सी० दिनांक 16 सितम्बर, 2010


तथा शासनादेश संख्या-सा-3-1118/दस-2011-301(09)/2003 टी०सी० दि०-16 सितम्बर, 2011 जो कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में है, अधोहस्ताक्षरी के अनुसार आच्छादित होता है। इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन है कि यदि अधोहस्ताक्षरी का प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन के किसी अन्य शासनादेश जो कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं है, से भी आच्छादित होता है तो उसका भी लाभ प्रदान किया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय से यह भी निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी के सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए पूर्व में की गयी सेवा को जोड़ने के प्रकरण को उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित करने की कृपा करें।

सादर।

संलग्नक-यथोक्त

दिनांक: 01-10-2024

भवदीय,

(सर्वेश कुमार पाण्डेय-॥)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०-2, फिरोजाबाद
(ID.No-UP-6186)

Consolidated Details with respect to Counting of previous service

| | |
|--|--------------------------------------|
| Name of the Officer | Sarvesh Kumar Pandey-II |
| Designation in U.P. Nyayik Sewa/U.P.H.J.S. | Additional District & Sessions Judge |
| Date of Joining in U.P. Nyayik Sewa/U.P.H.J.S. | 21-06-2006-UP Nyayik Sewa |
| Appointing Authority | His Excellency Hon'ble Governor |
| Date of retirement on superannuation | 31-07-2034 |

Details of Previous service

| | |
|--|--|
| Designation/Post held in pervious service | Assistant Prosecution Officer |
| Department/Office under which previous service was rendered | Directorate of Prosecution- Home Department Government of U.P. |
| Date of joining in previous service | 10-09-2001 |
| Nature of employment in previous service (Temporary/Permanent) | Permanent |
| Government under which previous service was rendered (Central/State) | State of Uttar Pradesh |
| Date of relieving in previous service | 20-06-2006 After noon. |
| Whether previous service rendered was under Old Pension Scheme or New Pension Scheme | Old Pension Scheme |
| Mention relevant Government Order(s) vide which past service benefits is claimed as well as particular provision of the Government Orders, applicable in his/her case (annex copy of G.O.s). | Attached |
| Remarks(s), if any | Government proforma attached |

h

प्रेषक,
सर्वेश कुमार पाण्डेय-११
एच०जे०एस०,
निबन्धक,
राज्य लोक सेवा अधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- माननीय अध्यक्ष,
राज्य लोक सेवा अधिकरण,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

विषय:-पूर्व में की गयी शासकीय सेवाओं को वर्तमान सेवा में सेवानैयुक्तिक लाभ हेतु आमणित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा-2003 में चयन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10.09.2001 से दिनांक 20.06.2006 तक ए०पी०ओ० के पद पर कार्यरत था। उक्त पद पर कार्यरत रहने के दौरान संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा-2003 हेतु आवेदन किया गया था और चयनोपरान्त वर्तमान सेवा में आने से पूर्व संबंधित विभाग से कार्यमुक्त होकर उनकी स्वीकृति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण किया था।

महोदय, यह भी अवगत कराना है कि मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा-2003 में चयन के उपरांत जनपद-गोरखपुर में अपर सिविल जज (जू०डि०) के पद पर दिनांक 21.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरी उक्त सेवा अवधि को वर्तमान सेवा अवधि में जोड़ते हुए समस्त सेवालाभों को प्रदान करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक: 11 जुलाई, 2022

सलामतक:
यथोक्त।

भवदीय,

सर्वेश कुमार पाण्डेय

(सर्वेश कुमार पाण्डेय-११)
निबन्धक,
रा०लो०से०अधि, लखनऊ।

प्रेषक,

सर्वेश कुमार पाण्डेय-II,
एच0जे0एस0

निबन्धक,

राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा

अध्यक्ष,

राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।


विषय- सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए पूर्व में की गई सेवा को जोड़ने के सम्बन्ध में शासनादेश।


महोदय,

सविनय निवेदन है कि मा0 उच्च न्यायालय के पत्र सं0- 2777/IV-3164/Admin.(A) Dated: Feb. 21st 2023 के अनुपालन के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध, वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश सं0- 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांक: 30 अप्रैल, 2019 मय प्रोफार्मा संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सादर।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार पाण्डेय)
निबन्धक
o/c.


14/3/2023

6
प्रेषक,

सर्वेश कुमार पाण्डेय-II,

एच0जे0एस0

निबन्धक,

राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा

अध्यक्ष,

राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ

विषय- सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए पूर्व में की गई सेवा को जोड़ने के सम्बन्ध में शासनादेश

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मा0 उच्च न्यायालय के पत्र सं0- 2777/IV-3164/Admin.(A) Dated: 21" 2023 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी का प्रकरण उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-सा-3-1671 2010-301(9)-2003 टी0सी0 दि0- 16 सितम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-1118/दस-2 301(09)/2003टी.सी. दि0- 16 सितम्बर, 2011 जो कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में है, अधोहस्ताक्षरी के अ- आच्छादित होता है। इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन है कि यदि अधोहस्ताक्षरी का प्रकरण उ0प्र0 शासन के अ- अन्य शासनादेश जो कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं है, से भी आच्छादित होता हो तो उसका भी लाभ उ- किया जाए।

मा0 उच्च न्यायालय से यह भी निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी के सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए पूर्व में की सेवा को जोड़ने के प्रकरण को उ0प्र0 शासन को संदर्भित करने की कृपा करें।

सादर

संलग्नक- यथोपरि

दि0- 12/02/2024

भवदीय,

SI
(सर्वेश कुमार पाण्डेय)

निबन्धक

01-

3/11
A
12/2/24

संख्या-सा-3-370/रा-2005-391(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005
3302/05-370

सेवा में

अनुप विभा.
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

(सामान्य) अनुभाग-3

- 1-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त निष्ठापाठ्या,
उत्तर प्रदेश।

Copy to be kept

संख्या-दिनांक 16 सितम्बर, 2015

विषय :- अधिसूचना संख्या-सा-3-370/रा-2005-391(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005
द्वारा लागू नए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

गठोदय,

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-370/रा-2005-391(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त ग्राम्य क नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भौति पेंशन योजना लागू है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की संपेकित निधि से किया जाता है, दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

2- वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त होते हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरांत राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा / संवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपसन्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भौति पेंशन योजना लागू थी और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की संपेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अथवा पूर्व सेवा से कार्यभारत होकर अथवा जिनकी त्याग-पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

(अनुप विभा.)
प्रमुख सचिव, वित्त।
2/1-
28/09/2015

-2-

22/10
3/5/14

संख्या : शा-3-1871(1) / दस-2010-301(09) / 2003 टी0र00, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद ।
- 4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
- 7- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र० लखनऊ ।
- 8- समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 9- जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश ।
- 10- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 12- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी दस हजार प्रतियाँ शासन को अविनाश उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नील शतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

Country of Service

संख्या-सं.सं. 319/एस-2005-301(6)/2003

देशक
युवा शक्ति,
प्रमुख सचिव, पित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

- संख्या में,
- 1- भारत प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
 - 2- राज्यस्त विभागध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय(संख्या)अनुभाग-2 दिनांक : 15 सितम्बर 2011

विषय:- अधिनियम संख्या-सा-3-379/एस-2005-301(6)/2003 दिनांक 20 मार्च, 2005 द्वारा लागू नए परिष्कृत असादीन पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ:- राज्य सरकार की अधिनियम संख्या-सा-3-379/एस-2005-301(6)/2003 दिनांक 20 मार्च, 2005 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों की भांति पेंशन योजना लागू थी, में नए नियुक्त कर्मचारियों को नई परिष्कृत असादीन पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।

2- शासन के संज्ञान में ऐसी प्रकरण लाये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कर्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त-पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवाएं थे। इन मामलों में यह जिज्ञासार्थ की जा रही है, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के आधार पर बिल-गिन प्रतिविधितियों में ऐसी कर्मचारियों को किस पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संबंधित प्रकरणों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाय-

- (1) केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा नियुक्ति समीचीन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारंपरिक सामग्री है, के ऐसे कर्मचारियों को केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनपुस्त अधिच्यन में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पर्याप्त नियुक्त होते हैं तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्राचीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने।

शासनादेश संख्या: 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांक: 30
अप्रैल, 2019 का संलग्नक

| | | |
|-------|---|--|
| 1- | वर्तमान सेवा का विवरण | |
| (1) | कर्मचारी का नाम | सर्वेश कुमार पाण्डेय-11 |
| (2) | पदनाम एवं वेतनमान | निबन्धक, 51500-63070 |
| (3) | कार्यालय/विभाग | राज्य लोक सेवा अधिकरण/न्याय विभाग |
| (4) | जन्म तिथि | 02-07-1974 |
| (5) | कार्यभार ग्रहण करने की तिथि | 21.06.2006 |
| (6) | नियुक्ति प्राधिकारी | महामहिम राज्यपाल |
| (7) | नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक | नोटि0नं0-2430/11-4-06 2(1)/2001 टीसी -1 दि0 26.05.2006 सपडित उच्च न्या0 नोटि0 नं0-962/डीआर(एस)/ 2006 दि0 13.06.2006 |
| (8) | अधिचर्षता की तिथि | 31.07.2034 |
| 2- | पूर्व सेवा का विवरण | |
| (9) | कर्मचारी का नाम | सर्वेश कुमार पाण्डेय |
| (10) | पदनाम एवं वेतनमान | सहायक अभियोजन अधिकारी/ 6500-10500 |
| (11) | कार्यालय/विभाग का नाम | अभियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। |
| (12) | नियुक्ति प्राधिकारी | महामहिम राज्यपाल |
| (13) | कार्यभार ग्रहण करने की तिथि | 10.09.2001 |
| (14) | कार्यभार छोड़ने की तिथि | 20.06.2006 |
| (15) | क्या पूर्व की सेवार्य पेशनेबल थी | हाँ। |
| (16) | क्या पूर्व में तदर्थ/कार्यप्रभारित/ सविदा/सीजनल/नियत वेतन पर सेवा की गयी? यदि हाँ, तो विवरण दिया जाये। (विनियमितीकरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये) | जी नहीं। |
| (17) | क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हाँ, तो विवरण दिया जाये। | नहीं। |
| (18) | क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हाँ, तो- | नहीं। |
| (I) | व्यवधानों की अवधि तिथि सहित। | नहीं। |
| (II) | व्यवधान का कारण | नहीं। |
| (III) | क्या, व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है? | नहीं। |
| (19) | क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये। | नहीं। |

31

| | |
|--|---|
| (20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यूटी पर नहीं माना गया है? यदि हाँ, तो अवधि इंगित की जाय तथा तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये। | नहीं। |
| (21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये। | सेवा पुस्तिका की सत्यापित फोटोप्रति संलग्न। |
| 3- विभाग की संस्तुति | |

हस्ताक्षर :

SL

संख्या:-17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30अप्रैल, 2019

विषय: सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं का जोड़ा जाना ।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत किसी सरकारी सेवक द्वारा, संबंधित विभाग में नियुक्त होने के पूर्व अन्यत्र की गयी पेशनेबल सेवाओं को उसकी वर्तमान/अंतिम सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को संदर्भित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों में प्रायः कतिपय आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

2- अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ सेवाओं को जोड़े जाने के प्रस्ताव इस शासनादेश के साथ संलग्न

- 1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों को पत्रावली की नोटिंग साईड पर अंकित करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाये ।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

संजीव मितल

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 17/2019/सा-3-346(1)/दस-2019-933/89तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0 ।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, 30प्र0 ।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 30प्र0लखनऊ।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, 30प्र0 ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

- 1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

शासनादेश संख्या: 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांक:30 अप्रैल,का
संलग्नक

| | |
|--|--|
| 1- वर्तमान सेवा का विवरण | |
| (1) कर्मचारी का नाम | |
| (2) पदनाम एवं वेतनमान | |
| (3) कार्यालय/ विभाग | |
| (4) जन्म तिथि | |
| (5) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि | |
| (6) नियुक्ति प्राधिकारी | |
| (7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक | |
| (8) अधिवर्षता की तिथि | |
| 2- पूर्व सेवा का विवरण | |
| (9) कर्मचारी का नाम | |
| (10) पदनाम एवं वेतनमान | |
| (11) कार्यालय / विभाग का नाम | |
| (12) नियुक्ति प्राधिकारी | |
| (13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि | |
| (14) कार्यभार छोड़ने की तिथि | |
| (15) क्या पूर्व की सेवायें पेंशनेबल थी | |
| (16) क्या पूर्व में तदर्थ/कार्यप्रभारित/संविदा/सीज़नल/ नियत वेतन पर सेवा की गयी? यदि हां,तो विवरण दिया जायें। | |
| (विनियमितीकरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये) | |

- 1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिंकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हां, तो विवरण दिया जाये।

(18) क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हां, तो -

(I) व्यवधानों की अवधि तिथि सहित ।

(II) व्यवधान का कारण

(III) क्या व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है?

(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।

(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यूटी पर नहीं माना गया है? यदि हां, तो अवधि इंगित की जाये तथा तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।

(21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये

3- विभाग की संस्तुति

हस्ताक्षर :-----

- 1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है

सेवा जोड़े जाने विषयक संगत नियम एवं शासनादेशों की संदर्भ सूची -

| | | |
|-----|--|--|
| 1- | 30प्र0 सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद - | |
| (1) | अनुच्छेद -361 | अर्हकारी सेवा की शर्त |
| (2) | अनुच्छेद -368 | अर्हकारी सेवा हेतु मौलिक नियुक्ति की अनिवार्यता |
| (3) | अनुच्छेद -370 | कार्यप्रभारित अधिष्ठान, कन्टिन्जेन्सी से भुगतानित सेवाओं एवं नॉन पेंशनेबल अधिष्ठान की सेवाओं को अर्हकारी सेवाओं में न जोड़ा जाना |
| (4) | अनुच्छेद -422 | सेवाओं में व्यवधानों का मर्षण |
| 2- | शासनादेश संख्या एवं दिनांक | |
| (1) | सा-3-1152/दस-915-89 दिनांक 01.07.1989 | अस्थायी सेवा को अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित किया जाना |
| (2) | सा-3-1713/दस-87-933/89 दिनांक 28.07.1989 | सामान्य दिशा निर्देश |
| (3) | सा-3-728/दस-98-901-98 दिनांक 10.07.1998 | राज्य सरकार की सेवा से स्वायत्त निकाय की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों अथवा स्वायत्त निकाय से राज्य सरकार की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों के प्रकरण |
| (4) | सा-3-1984/दस-2001-901-98 दिनांक 28.12.2001 | सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों की सेवाओं को राजकीय सेवाओं के साथ न जोड़ा जाना । |
| (5) | सा-3-950/दस-2006-901/98 दिनांक 20.07.2006 | राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा को राजकीय सेवा के साथ जोड़ा जाना । |

- 1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिणकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है